



## सप्तादश बिहार विधान सभा

### चतुर्थ सत्र

### ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-30.11.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री सुदामा प्रसाद, स०वि०स० श्री सत्यदेव राम, स०वि०स० श्री अजीत कुमार सिंह, स०वि०स० श्री भाई बीरेन्द्र, स०वि०स० श्री बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, स०वि०स० डॉ० सत्येन्द्र यादव, स०वि०स० श्री फतें बहादुर सिंह, स०वि०स० श्रीमती रेखा देवी, स०वि०स० डॉ० रामानुज प्रसाद, स०वि०स० श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन, स०वि०स० श्री राजेश कुमार गुप्ता, स०वि०स० श्री अजय कुमार, स०वि०स०	"बिहार सरकार ने 15 फरवरी, 2022 तक 45 लाख मिट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है जबकि किसानों ने 90 लाख एम०टी० से ज्यादा धान की रिकॉर्ड पैदावार की है। अभी कटनी शुरू हुई है और धान में नमी की मात्रा लगभग 22 प्रतिशत है, जबकि केन्द्र सरकार ने धान खरीद में 19 प्रतिशत की अनिवार्यता तय की है।	सहकारिता
एक किवंटल धान पैदा करने में किसानों का लगभग ढाई हजार रुपये खर्च होता है, जबकि केन्द्र सरकार ने 1940-1960 रुपये धान का समर्थन मूल्य तय किया है। 80 प्रतिशत खेती बटाइदार किसान करते हैं, लेकिन पुनः इस साल बटाइदारों से धान खरीद के लिए जमीन का खाता-खेसरा मांगने की शर्त से धान नहीं खरीदने की मंशा जाहिर होती है, क्योंकि कोई भी भूस्वामी अपनी जमीन का खाता-खेसरा नहीं देते हैं।	एक किवंटल धान पैदा करने में किसानों का लगभग ढाई हजार रुपये खर्च होता है, जबकि केन्द्र सरकार ने 1940-1960 रुपये धान का समर्थन मूल्य तय किया है। 80 प्रतिशत खेती बटाइदार किसान करते हैं, लेकिन पुनः इस साल बटाइदारों से धान खरीद के लिए जमीन का खाता-खेसरा मांगने की शर्त से धान नहीं खरीदने की मंशा जाहिर होती है, क्योंकि कोई भी भूस्वामी अपनी जमीन का खाता-खेसरा नहीं देते हैं।	एक किवंटल धान पैदा करने में किसानों का लगभग ढाई हजार रुपये खर्च होता है, जबकि केन्द्र सरकार ने 1940-1960 रुपये धान का समर्थन मूल्य तय किया है। 80 प्रतिशत खेती बटाइदार किसान करते हैं, लेकिन पुनः इस साल बटाइदारों से धान खरीद के लिए जमीन का खाता-खेसरा मांगने की शर्त से धान नहीं खरीदने की मंशा जाहिर होती है, क्योंकि कोई भी भूस्वामी अपनी जमीन का खाता-खेसरा नहीं देते हैं।	एक किवंटल धान पैदा करने में किसानों का लगभग ढाई हजार रुपये खर्च होता है, जबकि केन्द्र सरकार ने 1940-1960 रुपये धान का समर्थन मूल्य तय किया है। 80 प्रतिशत खेती बटाइदार किसान करते हैं, लेकिन पुनः इस साल बटाइदारों से धान खरीद के लिए जमीन का खाता-खेसरा मांगने की शर्त से धान नहीं खरीदने की मंशा जाहिर होती है, क्योंकि कोई भी भूस्वामी अपनी जमीन का खाता-खेसरा नहीं देते हैं।

अतः लोकहित में धान खरीद में नमी और खाता-खेसरा की अनिवार्यता समाप्त करने, धान का समर्थन मूल्य 3000 रुपये प्रति किवंटल करने, राज्य सरकार द्वारा धान खरीद पर प्रति किवंटल 1000 रुपये बोनस देने तथा धान खरीद का समय 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाकर किसानों के सम्पूर्ण धान खरीदने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं।'

2. श्री अरूण कुमार सिन्हा,  
स०वि०स०  
श्री राणा रणधीर,  
स०वि०स०

“बड़हिया-मोकामा टाल क्षेत्र दलहन उत्पादक क्षेत्र है। बाढ़ तथा बरसात का पानी इस क्षेत्र में जमा होने के बाद तीन-चार वर्ष पहले तक रबी बुआई के पूर्व निकल जाता था, लेकिन इस टाल क्षेत्र में गाद जमा होने के कारण पिछले तीन-चार वर्षों से रबी फसल की बुआई के पूर्व पानी नहीं निकलने के कारण लगभग 30,000 हेक्टेयर जमीन में दलहन की बुआई नहीं हो पा रही है, जिससे इस क्षेत्र के हजारों लघु तथा सीमांत किसानों और उनके परिवार को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है और उनके आजीविका का संकट उत्पन्न हो रहा है। टाल क्षेत्र में जल निकासी के नाम पर हर वर्ष करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद सही नीति नहीं रहने के कारण समस्या ज्यों की त्यों बनी रह गयी है।

अतः लोकहित में बड़हिया-मोकामा टाल क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष जमा होने वाले बाढ़ और बरसात के पानी को रबी फसल की बुआई के पूर्व हाथीदह के समीप गंगा नदी में निकालने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

शैलेन्द्र सिंह  
सचिव,  
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-28/2021- ३८८४ / विंस०, पटना, दिनांक- २९ नवम्बर, 2021 ई० ।  
प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / सहकारिता विभाग एवं जल संसाधन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२०११।।।५  
(राजीव कुमार)  
उप सचिव,  
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-28/2021- ३८८४ / विंस०, पटना, दिनांक- २९ नवम्बर, 2021 ई० ।  
प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप सचिव / सचिव के प्रधान आप सचिव एवं संयुक्त सचिव के आप सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचिव एवं संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

२०११।।।५  
(राजीव कुमार)  
उप सचिव,  
बिहार विधान सभा, पटना।